



सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्ति की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अनुसार) (नियम 8(6) के अंतर्गत)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 13(2) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत ऋणकर्ता एवं सहअनुबंधियों को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित धनराशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/सहअनुबंधियों/बंधककर्ताओं द्वारा उपरोक्त समय अवधि में उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सहपठित नियम (8) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों में बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी/सहअनुबंधियों/बंधककर्ताओं द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अचल सम्पत्ति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी में सम्मिलित होने हेतु आमन्त्रित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/बंधककर्ता/ गारंटर व शाखा का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य	नीलामी की तिथि और समय
				अग्रिम धन	कब्जे की प्रकृति
				जमा करने की अंतिम तिथि	कब्जे की तिथि
1	मैसर्स आयर फलोर मिल (ऋणी की फर्म) पता: पाडली बाजे, कंकर खेड़ा, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, (यूपी) श्री शाहवेज खान पुत्र श्री शाहवेज खान (प्रोपराईटर) पता: पाडली बाजे, कंकर खेड़ा, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, (यूपी) श्री दिलशाद खान पुत्र श्री अफजल अली (गारंटर) पता: ग्राम एवं पोस्ट मानपुर, बिलाकुदान, मुरादाबाद, (यूपी) श्री शाहवेज खान पुत्र श्री शामत खान (गारंटर और बंधककर्ता) पता: पाडली बाजे, कंकर खेड़ा, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, (यूपी)	एक आवासीय घर स्थित है गांव - पाडली बाजे, पोस्ट ऑफिस- कंकर खेड़ा, तहसील और जिला - मुरादाबाद, (यूपी), जिसका क्षेत्रफल 1233.99 वर्ग मीटर है (नामित है श्री शाहवेज खान पुत्र श्री शामत खान) पंजीकृत है बही संख्या: 1 क्रमांक नंबर: 8462, दिनांक 07.10.1982, सब-रजिस्ट्रार कार्यालय मुरादाबाद यह संपत्ति विलेख प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, शाखा पीपलसाना में साधारण पंजीकृत बंधक है पंजीकृत है बही संख्या: 1, जिल्द नंबर: 18552, पृष्ठ: 103-116, क्रमांक नंबर: 1862, दिनांक 07.02.2023 को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय प्रथम मुरादाबाद में (नामित है श्री सुबोध कुमार चौधरी, शाखा प्रबंधक, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक) शाखा पीपलसाना) चौहददी: उत्तर में: श्री विक्रम सिंह का मकान दक्षिण में: श्री शकील का मकान पूर्व में: लगभग 18 फीट चौड़ी सड़क पश्चिम में: लगभग 10 फीट चौड़ी सड़क	रु. 40,88,830/- दिनांक 31/08/2024 तक + ब्याज और अन्य खर्च	रु. 56,69,000/- रु. 5,66,900/-	17.03.2025 समय सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक सांकेतिक 04.01.2025
मांग सूचना की तिथि	25.09.2024	17.03.2025 (नीलामी से पहले)			

सम्पत्ति का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी पीपलसाना शाखा के पास उपलब्ध है।
नीलामी की नियम व शर्तें 1. नीलामी के समय बोलीदाता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत बयाना राशि के लिये ड्राफ्ट/पे-आर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी जो प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। 2. बोलीदाता को अपना आधार कार्ड/पैन कार्ड साथ लाना होगा। बोलीदाता की बोली स्वीकार होते ही नीलामी बोली का 25 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष राशि 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी अन्यथा पूर्व में जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। 3. उपरोक्त सम्पत्तियों का विक्रय 'जहां है जैसा है जो है' के आधार पर किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कारण दर्शाए किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 4. असफल बोलीदाता की धनराशि नीलाम सम्पत्ति के बाद उसी दिन बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। 5. हस्तांतरण सम्बंधी खर्च जैसे स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क इत्यादि सभी विधि समस्त खर्च सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किये जायेंगे। 6. सम्पत्ति पर समस्त सरकारी करों व देयताओं की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 7. अन्य जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में सम्बंधित शाखा में सम्पर्क करें। 8. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी तथा बोलीदाता पांच हजार के गुणांक में अपने प्रस्ताव में सुधार करेंगे, नीलामी बंद होने पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा। 9. यदि ऋणी नीलामी की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण बकाया राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। 10. यह नोटिस ऋणियों/सहअनुबंधियों/बंधककर्ताओं को 30 दिन का नोटिस पढ़ा जाये।

दिनांक- 07.02.2025 स्थान- मुरादाबाद प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक

Photographs showing the valuated site



Building Point
Ar. Vikas Agrawal
B. Arch., A.I.V., F.I.V.
GIRITAL MANDIR ROAD
KASHIPUR-244713 (U.S.Nagar)
Mobile : 9837130772